

अनुदान संख्या 15 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

			कूल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
प्रभारित—	Charged-				
पूरक	Supplementary		1,00	39	-61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	190914,27,00	190914,29,00	113931,14,47	-76983,14,53
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				76977,05,51
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	51326,12,00	51326,14,00	1243,10,58	-50083,03,42
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				50082,01,08

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष “2408”	Major Head “2408”			
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	19077649.00		
पू.	S.	2.00	11387093.26	11386589.59
पु.	R.	-7690557.74		-503.67
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	2940.00		
		
पु.	R.	-2940.00		..
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	4187.00		
			16.99	..
पु.	R.	-4170.01		-16.99

(I) ₹13205.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹12287.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹13205.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹12287.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2408” – “खाद्य – अन्य व्यय – चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु स्कीम, 2014” – ₹6000.00 लाख – अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि होने तथा खाते बंद होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई से मांग प्राप्त न होने के कारण।

(A) Major Head “2408” - “Food - Other Expenditure - Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2014” - ₹6000.00 lakhs - due to non-receipt of demand from State Bank of India, Mumbai on account of increase in non-performing assets and closure of accounts.

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” – “भंडारण और भांडागार – अन्य व्यय – राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण” – ₹2100.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – चावल और इसके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण का सुदृढीकरण” – ₹4187.00 लाख – राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2408” – “खाद्य” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “निर्देशन और प्रशासन” –

(क) “सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)” – ₹2584.29 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के परिचालन का सुदृढीकरण” – ₹1758.46 लाख की बचत (₹2660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अधिप्राप्ति और आपूर्ति – राज्यांतरिक आवाजाही पर व्यय को पूरा करने, एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों और एफपीएस डीलरों के लाभ की देखरेख के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता” – ₹242343.00 लाख की बचत (₹410221.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने, राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती के जाने के कारण हुई।

(B) Major Head “2552” - “Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage Godowns in NE Region by State Governments” - ₹2100.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Fortification of Rice and its Distribution under Public Distribution System” - ₹4187.00 lakhs - due to non-receipt of claims from State Governments.

(II) Under Major Head “2408” - “Food” - savings occurred under the followings heads:-

(A) “Direction and Administration” -

(a) “Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS)” - saving of ₹2584.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(b) “Strengthening of PDS Operation” - saving of ₹1758.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2660.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments and non-conduction of training programmes.

(B) “Procurement and Supply - Central assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA” - saving of ₹242343.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹410221.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals, pending utilisation certificates from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) “खाद्य सहायिकी” –

(क) “एनएफएसए के अंतर्गत एफसीआई तथा अन्य को खाद्यान्नों के लेनदेनों पर देय सहायिकी” – ₹7600000.00 लाख की बचत (₹15100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सहायिकी के स्थान पर राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण मंजूर किए जाने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “एएवाई परिवारों को पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सहायिकी” – ₹4000.00 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपूर्ण दावे प्राप्त होने तथा राज्य सरकारों द्वारा दावे प्रस्तुत करने में विलंब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) “चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन क्षमता की वृद्धि और बढ़ोतरी के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु स्कीम” – ₹5000.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “चीनी मिलों को सुलभ ऋण दिए जाने हेतु स्कीम” – ₹10000.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चीनी मिलों द्वारा दावे प्रस्तुत करने में विलंब की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) “वर्ष 2017–18 अवधि के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम” – ₹4540.94 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(C) “Food Subsidies” -

(a) “Subsidy Payable to FCI and others on foodgrains transactions under NFSA” - saving of ₹7600000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15100000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to sanctioning of National Small Saving Fund loan in lieu of food subsidy to Food Corporation of India.

(b) “Sugar Subsidy Payable under PDS for AAY Families” - saving of ₹4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of incomplete claims and delay in submission of claims by State Governments.

(c) “Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs); and

(d) “Scheme for extending soft loan to sugar mills” - saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to delay in submission of claims by sugar mills.

(e) “Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2017-18 season” - saving of ₹4540.94 lakhs (against the sanctioned provision of

में) चीनी मिलों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from sugar mills.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹184277.28 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में मुख्य शीर्ष “2408” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

2.(I) The above savings were partly (₹184277.28 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under Major Head “2408” - under the following heads:-

(का) “खाद्य – खाद्य सहायिकी” –

(A) “Food - Food Subsidies” -

(क) “एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पर राज्य सरकार को सहायिकी” – ₹50834.00 लाख।

(a) “Subsidy to State Government on decentralized procurement of foodgrains under NFSA” - ₹50834.00 lakhs.

(ख) “वर्ष 2018-19 अवधि के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम” – ₹100000.00 लाख।

(b) “Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2018-19 season” - ₹100000.00 lakhs.

(ग) “निर्यात पर आंतरिक परिवहन, माल भाड़ा देखरेख और अन्य प्रभारों के व्यय के भुगतान हेतु स्कीम” – ₹5000.00 लाख।

(c) “Scheme for defraying expenditure towards internal transport, freight handling and other charges on export” - ₹5000.00 lakhs.

(घ) “चीनी का बफर स्टॉक बनाने और उसकी देखरेख के लिए स्कीम” – ₹8007.55 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹8007.54 लाख था।

(d) “Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar” - ₹8007.55 lakhs. Actual excess, however, was ₹8007.54 lakhs.

(ङ) “चीनी के 40 एलएमटी का बफर स्टॉक बनाने और उसकी देखरेख के लिए स्कीम” – ₹9995.97 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9995.96 लाख था।

(e) “Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of 40 LMT of sugar” - ₹9995.97 lakhs. Actual excess, however, was ₹9995.96 lakhs.

(च) “वर्ष 2019-20 अवधि के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम” – ₹10000.00 लाख।

(f) “Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2019-20 season” - ₹10000.00 lakhs.

(खा) “भण्डारण और भांडागार – भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण को सहायता – भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण” – ₹439.76 लाख।

(B) “Storage and Warehousing - Assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority - Warehousing Development and Regulatory Authority” - ₹439.76 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2408” – “भण्डारण तथा भांडागार – अन्य व्यय – राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण” – के अंतर्गत ₹1358.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2408” - “Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage Godowns in NE Region by State Governments” - excess of ₹1358.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

3. In the capital section of grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष “4408” खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4408” Capital Outlay on Food Storage and Warehousing			
मू.	O.	101112.00	105553.00	105451.67
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	4440.00		
मुख्य शीर्ष “4552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4552” Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	4500.00
पु.	R.	-4500.00
मुख्य शीर्ष “6408” भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्ज	Major Head “6408” Loans for Food Storage and Warehousing			
मू.	O.	5000000.00
पु.	R.	-5000000.00

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	
		(लाख रुपयों में)
		(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "6860"	Major Head "6860"				
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	27000.00			
पू.	S.	1.00	18859.92	18858.91	-1.01
पु.	R.	-8141.08			

(I) ₹5005500.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "भण्डारण तथा भण्डागार - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" - ₹4500.00 लाख - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "6408" - "खाद्य - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम" - ₹5000000.00 लाख - नकदी बाध्यताओं के कारण इसी वित्तीय वर्ष के भीतर अग्रिम की अदायगी व्यवहार्य न होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - गन्ना विकास के लिए चीनी मिल" - ₹1000.00 लाख - चीनी मिलों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत - निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई :-

(I) Provision of ₹5005500.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India"- ₹4500.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "6408" - "Food - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Ways and Means Advance payable to FCI" - ₹5000000.00 lakhs - due to non-feasibility to repay the advance within the same financial year owing to liquidity constraints.

(C) Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar Mills for Cane Development" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from sugar mills.

(II) Under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings"- savings occurred under the following heads:-

(का) “चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण” – ₹6500.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, स्कीम के जन-प्रेरित होने की वजह से हुई।

(खा) “बगास आधारित सह-उत्पादन बिजली परियोजना के लिए चीनी फैक्ट्रियां” – ₹8141.09 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वितरण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7500.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “6860” – “चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – एल्कोहल से इथेनॉल अथवा एनहाईड्रस एल्कोहल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियां” के अंतर्गत – नवंबर, 2019 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹7499.00 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “4408” – “भण्डारण और भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम” के अंतर्गत – ₹4500.00 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “4552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) “Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills” - saving of ₹6500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, scheme being demand driven.

(B) “Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project” - saving of ₹8141.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for disbursement and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4.(I) The above savings were partly (₹7500.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2019 under Major Head “6860” - “Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol”. Actual excess, however, was ₹7499.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “4408” - “Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India” - excess of ₹4500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.